



2026: AHC : 41282- DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3563/2026

विजय कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिनव शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), राम शिरोमणि शुक्ला, श्रेया गुप्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), प्रतिवादी संख्या 4 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्रेया गुप्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया कि वर्तमान मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वह इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते और उचित स्तर पर उचित मंच (फोरम) से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केयू

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।